

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 12)/2025/ई-11382

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि सविदा निष्पादन की दिनांक से 31-03-2027 तक के लिये) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रुपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	260A (50 51, 52)	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक	सम्पूर्ण जिला टोंक की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट, चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट, चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट, चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	40,54,55,027	16-06-2025	17-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	25	खनि अभियन्ता, धौलपुर	जिला धौलपुर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन एवं विभागीय तुलायंत्रों पर तुलाई फीस	ईआरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, तुलाई शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	17,16,11,653	16-06-2025	17-06-2025	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
3	40	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील दूदू, मौजमाबाद व फागी की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, चेजा पत्थर, गिट्टी, ग्रेनाइट तथा उक्त तीनों तहसीलों में प्रधान खनिज के खनन पट्टों से निर्गमित अप्रधान खनिज	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, चेजा पत्थर, गिट्टी, ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	294061511	16-06-2025	17-06-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
4	174, 222, 253	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना व पाटन की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, सिलिका सैण्ड, कैल्साइट, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कार्टजाईट (चिप्स एवं पाउडर), कार्टजाईट (उपयोगिता के आधार पर), मार्बल एवं उक्त तहसीलों में प्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों में समावेशित अप्रधान खनिज मेसेनरी स्टोन तथा तहसील श्रीमाधोपुर में प्रधान खनिज के खनन पट्टा 48/05 में समावेशित अप्रधान खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	खनिज मेसेनरी स्टोन, सिलिका सैण्ड, कैल्साइट, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कार्टजाईट (चिप्स एवं पाउडर), कार्टजाईट (उपयोगिता के आधार पर), मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1031006175	16-06-2025	17-06-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.



5	161	खनि अभियन्ता, उदयपुर	सम्पूर्ण जिला उदयपुर (तहसील खेरवाड़ा, ऋषभदेव एवं नयागांव को छोड़कर) तथा जिला सलुम्बर की तहसील सराड़ा व सेमारी में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, कार्टजाईट एवं पायरोफिलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, कार्टजाईट एवं पायरोफिलाईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, कार्टजाईट एवं पायरोफिलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	84220278	16-06-2025	17-06-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
6	103	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील ऋषभदेव व खेरवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1,51,12,170	16-06-2025	17-06-2025	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
7	192	खनि अभियन्ता, राजसमंद- II	जिला राजसमंद की तहसील राजसमंद, कुम्भलगढ़, गढ़बोर, खमनोर, देलवाड़ा, नाथद्वारा एवं रेलमगरा की राजस्व सीमा में खनिज केलसाईट, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड एवं पायरोफिलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज केलसाईट, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड एवं पायरोफिलाईट	ईआरसीसी	केलसाईट, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड एवं पायरोफिलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	109531429	16-06-2025	17-06-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
8	172, 242 व 257	खनि अभियन्ता, सीकर	जिला सीकर की तहसील खण्डेला एवं श्रीमाधोपुर की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, मार्बल, कार्टजाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, चाईनाक्ले, कैल्साइट एवं प्रधान खनिज के खनन पट्टों में समावेशित अप्रधान खनिज (ग्राम लोढ़ा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के खनन पट्टा 48/05 को छोड़कर) पर	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, मार्बल, कार्टजाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, चाईनाक्ले, कैल्साइट एवं प्रधान खनिज के खनन पट्टों में समावेशित अप्रधान खनिज (ग्राम लोढ़ा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के खनन पट्टा 48/05 को छोड़कर)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	165723182	16-06-2025	17-06-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
9	2	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल के राजस्व ग्राम खाटू बड़ी व जिला डीडवाना कुचामन के राजस्व ग्राम छोटी खाटू की राजस्व सीमा में खनिज सेण्ड स्टोन, पट्टीकातला, खण्डा व बैलास्ट के प्रभावशील कारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन, पट्टीकातला, खण्डा व बैलास्ट	आरसीसी	सेण्ड स्टोन, पट्टीकातला, खण्डा व बैलास्ट	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	60461676	17-06-2025	18-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
10	81	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पीपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजड़ला की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	24,81,360	17-06-2025	18-06-2025	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

11	83	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला फलोदी की तहसील देवू के राजस्व ग्राम देवू, गुमानजी की ढाणी, भवराणी व कोलू की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन एवं फतेहगढ़ (देवू) में प्रभावशील खनन पट्टों तथा जिला जोधपुर की तहसील सेखाला के ग्राम ठाडिया की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी/ आरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1,82,26,677	17-06-2025	18-06-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
12	107	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर(ग्रामीण) की तहसील बिलाडा पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	35,92,600	17-06-2025	18-06-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
13	36	सहायक खनि अभियन्ता, चुरु	जिला चुरू की तहसील सुजानगढ़ के क्षेत्र सारोठिया, जीली, परेवडा, चरला, कोडासर, जाटान एवं तहसील बीदासर के क्षेत्र जैतासर, मानपुरा (छोटी घंटियाल), पालास, सडू बडी व बीदासर (कॉरी क्षेत्र को छोडकर) एवं जिला बीकानेर की तहसील श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम बाडेला की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	6,72,60,591	17-06-2025	18-06-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
14	106	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5,15,30,787	17-06-2025	18-06-2025	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
15	157	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, बिच्छीवाडा, सागवाडा, गलियाकोट व चिखली की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2,19,47,940	17-06-2025	18-06-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
16	258	सहायक खनि अभियन्ता, सलूमबर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर एवं साबला की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल तथा कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज पट्टी कातला	ईआरसीसी/ आरसीसी	मार्बल / पट्टी कातला	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	40,23,913	17-06-2025	18-06-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
17	250	सहायक खनि अभियन्ता, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ की राजस्व सीमा तथा सम्पूर्ण चुरु जिले की राजस्व सीमा मे स्वीकृत खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमित क्षेत्रों से निर्गमित खनिज जिप्सम	आरसीसी	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	305196859	18-06-2025	19-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
18	210	खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर	जिला श्रीगंगानगर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम तथा खनिज जिप्सम के परमितों से निर्गमित खनिज जिप्सम	ईआरसीसी	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	398879158	18-06-2025	19-06-2025	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

19	86	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील शिव की राजस्व सीमा में खनिज बेन्टोनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बेन्टोनाईट	ईआरसीसी	बेन्टोनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	81140850	18-06-2025	19-06-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
20	189	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर व साबला को छोड़कर शेष सम्पूर्ण जिला डूंगरपुर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज सोपस्टोन	ईआरसीसी	सोप स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	22111702	18-06-2025	19-06-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
21	261	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर व जायल की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी संग्रहण एवं उक्त क्षेत्र में खनिज जिप्सम के स्वीकृत एसटीपी से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी, प्रीमियम शुल्क एवं परमिट शुल्क संग्रहण ठेका	आरसीसी/ ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	78216730	18-06-2025	19-06-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
22	267	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर	सम्पूर्ण जिला सलुम्बर की तहसील सलुम्बर, लसाडिया एवं झल्लारा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, कार्टजाईट, पायरोफिलाईट एवं केल्साईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, कार्टजाईट, पायरोफिलाईट एवं केल्साईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, कार्टजाईट, पायरोफिलाईट एवं केल्साईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5189127	18-06-2025	19-06-2025	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
23	162	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली एवं नैनवां (कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले खनन ग्राम की राजस्व सीमा) में खनिज रेड एवं येलो ऑकर व चाईना क्ले के स्वीकृत पट्टों से निर्गमित खनिज रेड एवं येलो ऑकर व चाईना क्ले	ईआरसीसी	रेड ऑकर, येलो ऑकर व चाईना क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3074067	18-06-2025	19-06-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
24	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील निम्बाहेड़ा, भदेसर, बड़ीसादड़ी, व डूंगला की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं कार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं कार्टजाईट	ईआरसीसी	रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं कार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	91761748	18-06-2025	19-06-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
25	166 (212)	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियांबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	ईआरसीसी	खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	74593283	19-06-2025	20-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

26	180	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ एवं गंगारार की राजस्व सीमा में खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड एवं कार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड एवं कार्टजाईट	ईआरसीसी	रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड एवं कार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	127225000	19-06-2025	20-06-2025	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
27	268	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील ऋषभदेव, नयागांव एवं खेरवाडा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन	ईआरसीसी	सोपस्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	42426489	19-06-2025	20-06-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
28	178 (190, 191)	खनि अभियन्ता, अजमेर	जिला अजमेर की संपूर्ण राजस्व सीमा व जिला ब्यावर की तहसील जैतारण व बदनौर तथा ग्राम पंचायत बोरवा, सारोठ, डूंगरखेडा, बार, शेखावास, पीपली का बाडीया(लगतखेडा), बिलीयावास को छोड़ते हुए संपूर्ण वर्तमान ब्यावर जिले की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, केल्साईट, कार्टजाईट एवं ऑकर के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज सोपस्टोन, केल्साईट, कार्टजाईट एवं ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, केल्साईट, कार्टजाईट एवं ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5900684	19-06-2025	20-06-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
29	113	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील विराटनगर की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, सिलिका सेण्ड व कार्टजाईट एवं प्रधान खनिज के खनन पट्टों में समावेशित अप्रधान खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	खनिज चेजा पत्थर, सिलिका सेण्ड व कार्टजाईट एवं प्रधान खनिज के खनन पट्टों में समावेशित अप्रधान खनिज चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	53867704	19-06-2025	20-06-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
30	67	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील बानसूर की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	52294305	19-06-2025	20-06-2025	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
31	60	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील महवा की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	15451291	19-06-2025	20-06-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
32	171(58)	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा, सैथल व कुण्डल की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झीकरा, सोपस्टोन व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झीकरा, सोपस्टोन व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	57581415	19-06-2025	20-06-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
33	221	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, सीमलवाडा, चीखली एवं झौथरी की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	21114684	23-06-2025	24-06-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

34	248	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की तहसील लुणकरनसर की राजस्व सीमा में ग्राम दुलमेरा में खनिज सेण्डस्टोन के प्रभावशील कारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन, पट्टी कातला व खण्डा (चिनाई पत्थर) पर	आरसीसी	खनिज सैण्डस्टोन के प्रभावशील कारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन, पट्टी कातला व खण्डा (चिनाई पत्थर)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1215303	23-06-2025	24-06-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
35	49	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील खेतड़ी व बुहाना की राजस्व सीमा में प्रधान एवं अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, केल्साईट, कार्टजाईट व सिलिका सेण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, केल्साईट, कार्टजाईट व सिलिका सेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	782743698	23-06-2025	24-06-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
36	176	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबडी, जमवारामगढ़, आंधी, बस्सी, तूंगा, चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा व सांगोनर की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिका सेण्ड, सोपस्टोन, चाईना क्ले, पायरोफ्लैट, कार्टजाईट व ग्रेनाइट (तहसील बस्सी, तूंगा व सांगोनर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों में समावेष्ट खनिज कार्टजाईट को छोड़कर) तथा उक्त ग्यारह तहसीलों में प्रधान खनिज के खनन पट्टों से निर्गमित अप्रधान खनिज	ईआरसीसी	सिलिका सेण्ड, सोपस्टोन, चाईना क्ले, पायरोफ्लैट, कार्टजाईट व ग्रेनाइट (तहसील बस्सी, तूंगा व सांगोनर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों में समावेष्ट खनिज कार्टजाईट को छोड़कर) तथा उक्त ग्यारह तहसीलों में प्रधान खनिज के खनन पट्टों से निर्गमित अप्रधान खनिज	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	22896024	23-06-2025	24-06-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
37	167	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील वैर, भुसावर, बयाना व जिला डीग की तहसील पहाडी एवं नगर की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासैण्ड, रैडऑकर, यलोऑकर एवं फायरक्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासैण्ड, रैडऑकर, यलोऑकर एवं फायरक्ले (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	सिलिकासैण्ड, रैडऑकर, यलोऑकर एवं फायरक्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	71828640	23-06-2025	24-06-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
38	159	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	सम्पूर्ण जिला पाली एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले, सिलिका सेण्ड एवं फॉयर क्ले	ईआरसीसी	चायनाक्ले, बॉल क्ले, सिलिका सेण्ड एवं फॉयर क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	68415024	23-06-2025	24-06-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें—

- ई—नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जायेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित “ठेके की आरक्षित राशि” के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- ठेकों की वार्षिक राशि ई—नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जायेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- ठेका किसी अन्य को हस्तांतरण / सबलेट तथा अर्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।

- 4 ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारी लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 5 ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं।
- 6 ई-नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- 7 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट <https://rajminorrccercc.enivida.com> पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को <https://rajminorrccercc.enivida.com> के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड के enivida पोर्टल <https://rajminorrccercc.enivida.com> पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा रेलटेल enivida के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट <https://rajminorrccercc.enivida.com> पर एवं उनके किसी भी फोन में online training हेतु संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय का पता **301-302, 3rd floor, Plotno. 37, Sector-11, Dwarka, New Delhi - 110075** है व फोन न. **9355030608, 9355030614, 9355030624** व ई-मेल आई डी **mines@enivida.in** है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम **क्लास-III** का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को त्रिपलज्म मछुपअपकं के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रुपये 8000/- व जी.एस.टी. **RailTel eNivida** पोर्टल <https://rajminorrccercc.enivida.com> में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर **RailTel eNivida** पोर्टल में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (**RailTel eNivida**) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. / ई-पेमेन्ट जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा **RailTel eNivida** पोर्टल को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (**multiple**) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्कैन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।

1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

- | | |
|------|---|
| iii | बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति। |
| iv | बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति। |
| v | आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति। |
| vi | PAN card / GSTIN की प्रति। |
| vii | एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसेन्स / मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति। |
| viii | ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये। |
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बड़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्ति कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(दीपक तंवर)
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 12)/2025/ई-11382

प्रतिलिपि :-

1- सहायक महाप्रबंधक, वी.ए.बी. मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://rajminorrcccercc.enivida.com> पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/घौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-I/II/आमेत/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

य -सहायक खनि अभियन्ता, टोंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरु/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी।

(दीपक तंवर)
निदेशक